रेलवे पेंशनर्स के यूएमआईडी कार्ड बनवाने लगा शिविर

▶ 41 सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए शामिल, समस्याओं का हुआ समाधान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 07 जुलाई। रेल्वे के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन एवं सहायक कार्मिक अधिकारी (कल्याण) आदेश कुमार मिश्रा के दिशानिर्देश में मंगलवार को पेंशनर्स एसोसिएशन, ग्वालियर के सहयोग से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ग्वालियर शहर में रहने वाले सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए स्लुष्ठ कार्ड बनाने और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु लगाया गया था। शिविर में कुल 41 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें से 13 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मौके पर ही 'यूएमआईडी' कार्ड से संबंधित सहायता और समाधान उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, 7 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को संकलित कर आगे की कार्रवाई के लिए मंडल कार्यालय झांसी की कार्मिक शाखा को भेज दिया गया है। शिविर में उपस्थित अन्य पेंशनर्स को रेलवे रेफरल और 'यूएमआईडी' कार्ड की उपयोगिता व लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस अवसर पर मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक वीरेंद्र सिंह कंसाना, मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक कैलाश मस्कोले, मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक मनोज शर्मा, कार्यालय अधीक्षक अपूर्व झा और पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

नाबालिग को बंदूक दिखाकर उड़ाए 15 लाख के जेवर

ग्वालियर। मुरार थाना क्षेत्र के मीरा नगर में दो बदमाशों द्वारा एक नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवर चोरी करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित किराना व्यवसायी कमल किशोर गुप्ता (निवासी जयदयाल गुप्ता, लीलाधर जैन का मकान) ने बताया कि वह 29 जून से 2 जुलाई के बीच किसी काम से देवास गए थे और दुकान की जिम्मेदारी अपने नाबालिग बेटे वैभव उर्फ वंश को सौंप गए थे।

इसी दौरान पीड़ित के एक नाबालिग रिश्तेदार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर वैभव को डराया और दुकान व घर की तिजोरी का ताला तुड़वाकर दो सोने के हार, झुमकी, वाले और करीब 10 तोला वजनी चार चूड़ियां पार कर लीं। कमल किशोर के लौटने पर बेटे ने रोते हुए इस दहशत की दास्तान सुनाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कायस्थ महासभा ने मंदिर परिसर में किया पौधारोपण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 07 जुलाई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जोहरी के नेतृत्व में यह आयोजन मोतीझील, अजगर खो स्थित मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। पौधारोपण के पश्चात मंदिर परिसर में ही महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूरे जिले में 1000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जोहरी ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर या उसके आस-पास कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी कदम है। समाज के हर संगठन को इस मौसम में आगे आकर पौधारोपण करना चाहिए।'

श्री जोहरी ने सामाजिक एकता पर बल देते हुए आगे कहा कि सभी संगठनों को मिलजुलकर कार्य करना चाहिए ताकि समाज में एकजुटता का मजबूत संदेश जाए। हम एक होंगे, तभी अनेकता में एकता की भावना जागृत होगी।

कार्यक्रम का शुभारंभ बेहद आध्यात्मिक माहौल में हुआ। सबसे पहले संकटमोचन हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित कायस्थ बंधुओं ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया।

इस पुनीत कार्य में आश्रम के पूज्य संतों के साथ-साथ महासभा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों और समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और मंदिर परिसर के आसपास पौधे रोपे।

पौधारोपण करने वाले में देवेंद्र श्रीवास्तव, शिवानंद सहाय सक्सेना, विनोद श्रीवास्तव, योगेश भटनागर, गजेंद्र अस्थाना, मनोज सक्सेना, अमित सक्सेना, विद्या राम श्रीवास्तव, शिव प्रकाश सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सक्सेना, और धर्मेंद्र सिंह सिकरवार मौजूद रहे।

सूफियाना गायकी के जादू से झूम उठा शहर, हितांश जेठवानी के शो ने जीता दिल

ग्वालियर। सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, इंस्टाग्राम वायरल सेंसेशन और 'मिस्टर रिलेटेबल' के नाम से प्रसिद्ध युवा गायक एवं परफॉर्मर हितांश जेठवानी ने ग्वालियर के चेम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में गत दिवस आयोजित अपने बहुचर्चित 'रियल टेबल लव' शो में सूफियाना गायकी और कहानी कहने की अनूठी शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कार्यक्रम देर रात तक चला। पूरे लाइव बैंड के साथ हितांश जेठवानी ने एक से बढ़कर एक गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं। सूफी संगीत, रोमांटिक गीतों और भावनात्मक स्टोरीटेलिंग के अनूठे संगम ने उपस्थित श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम के दौरान दर्शक गीतों पर झूमते और तालियों की गूंज से कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। हितांश जेठवानी आज देश के सबसे चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स और परफॉर्मर्स में गिने जाते हैं। वे ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय नया ट्रेंड बनाने के लिए जाने जाते हैं।

बारिश में रोड कटिंग करने पर होगा जुर्माना

ग्वालियर। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है, मानसून को देखते हुए अपर आयुक्त श्री टी प्रतीक राव ने बारिश में रोड कटिंग को पूर्ण रूप से 15 सितंबर तक प्रतिबंधित किया गया है।

आईटीआई में बौद्धिक अक्षमता को प्रवेश

ग्वालियर 07 जुलाई। शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं का आवासीय विद्यालय ग्वालियर संभाग ग्वालियर शासकीय आईटीआई परिसर बिरलानगर में नवीन सत्र 2026-27 के लिये बौद्धिक अक्षमता बालक एवं बालिकाओं उम्र 6 से 14 वर्ष तक के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में बालक-बालिकायें प्रवेश हेतु शासकीय आईटीआई परिसर ग्वालियर में प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आवासीय विद्यालय में प्रवेश के संबंध में अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

गंदगी करने वालों से वसूला 8150 रुपये का जुर्माना

ग्वालियर 07 जुलाई। गंदगी करने वाले दुकानदारों एवं फुटपाथ कारोबारियों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाकर 8150 रूपये का जुर्माना वसूल किया है। अपर आयुक्त टी प्रतीक राव के निर्देशानुसार जोन 11 के अंतर्गत वार्ड 24, 28 में गंदगी करने वाले से 3000 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

CHANGE OF NAME

I, SAKET KUMAR S/O ASHOK KUMAR Residing at B-03 SKY CITY, BHINDROAD, MAHARAJPURA, GWALIOR (M.P) have changed my Father's name from **ASHOK KUMAR** to **ASHOK KUMAR SHARMA** due to Mismatching of Name in Service documents.

Vide Affidavit No CB 954907 Dated 06/07/2026 before High Court, Gwalior M.P.

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम कैलाशी बाई (KAILASHI BAI) है जो कि मेरे वोटर कार्ड, बैंक पास बुक और आदि दस्तावेजों में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम कलासी बाई है। कलासी बाई और कैलाशी बाई दोनो ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम कलासी बाई (KALLSI BAI) के स्थान पर कैलाशी बाई (KAILASHI BAI) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे कैलाशी बाई (KAILASHI BAI) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम-कलासी बाई (KALLSI BAI)
नया नाम-कैलाशी बाई (KAILASHI BAI)

पति श्री गयादीन बाथम (GYADIN BATHAM)
निवासी जहाँगीर कटरा सागरताल मार्ग घासमंडी किलागेट जिला ग्वालियर म.प्र.-474003

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E-mail:- gmmp@fci.gov.in

ROMP-20016/1/2025-Coord-ROMP /369536 Date-05.06.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति मीट्रिक टन के आधार पर एफसीआई के निर्दिष्ट प्रेषण डिपो से नामित प्राप्ति डिपो तक डोर-टू-डोर डिलीवरी के आधार पर कंटेनरीकृत वैगनों में खाद्यान्न के परिवहन के लिए सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य / वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, आर्मी न. 2980060H Ex Hav सुरेश सिंह गौतम निवासी- 162, न्यू रेशम मिल, प्रगति नगर, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.), सूचित करता हूँ कि आर्मी रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुरेश सिंह (Suresh Singh) दर्ज है, जबकि आधार कार्ड अनुसार मेरा सही नाम सुरेश सिंह गौतम (Suresh Singh Gautam) है। अतः भविष्य में मुझे सुरेश सिंह गौतम के नाम से ही जाना जाए एवं आर्मी रिकॉर्ड में दर्ज हो

सूचनाकर्ता

सुरेश सिंह गौतम पुत्र भगवान सिंह गौतम निवासी- 162, न्यू रेशम मिल, प्रगति नगर, बिरला नगर जिला, ग्वालियर (म.प्र.)

उपनाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता हैं कि मैं सोनल अग्रवाल पत्नी श्री- कपिल कुमार अग्रवाल निवासी- 7, रवि नगर, बिहाइंड अदिति इन होटल नियर जी.डी.ए बिल्डिंग ग्वालियर, (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थिनी के पूर्व पासपोर्ट में नाम **सोनल सिंघल SONAL SINGHAL** अंकित है। जवकि अब मैने अपना नाम **सोनल सिंघल SONAL SINGHAL** के स्थान पर सोनल अग्रवाल SONAL AGARWAL रख लिया है। अतः अब मुझे भविष्य में **सोनल अग्रवाल SONAL AGARWAL** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

प्रार्थिनी नाम- सोनल अग्रवाल
पत्नी श्री- कपिल कुमार अग्रवाल
निवासी- 7, रवि नगर, बिहाइंड अदिति इन होटल नियर जी.डी.ए बिल्डिंग ग्वालियर, (म.प्र.)

आम सूचना (संबंध विच्छेद)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के पुत्र मुकुल शंखवार का विवाह सुगंध पुत्री स्व. श्री ग्याप्रसाद निवासी- ग्राम कुम्हरा, भरतना जिला इटावा (उ.प्र.) के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही मेरे पक्षकार के पुत्र एवं पुत्रवधू का व्यवहार मेरे व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मधुर नहीं रहा एवं छोटा पुत्र मुकुल शंखवार प्राइवेट नौकरी करता है एवं पुत्रवधू सुगंध प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती है। मेरी पुत्रवधू दोनों सगी बहिनें हैं। मुझसे व मेरी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों से आये दिन अभद्र एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। मेरे कुछ कहने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए झूठे केस में फँसाने की धमकी देते हैं और घर का कोई काम नहीं करती है और हम दोनों पति-पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर परेशान करते हैं। इस कारण मेरा पक्षकार अपने पुत्र मुकुल शंखवार एवं पुत्रवधू सुगंध शंखवार को अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ तथा अपने पुत्र व पुत्रवधू से कोई लेना-देना नहीं है। यदि मेरे पक्षकार के पुत्र मुकुल शंखवार एवं पुत्रवधू सुगंध शंखवार द्वारा किसी भी फर्म, व्यक्ति, फाइनेंस कंपनी, संस्था, निकाय या अन्य किसी व्यक्ति विशेष से समव्यवहार या लड़ाई-झगड़ा किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। मेरे पक्षकार एवं उसके परिवारजनों से कोई लेना-देना नहीं होगा और ना ही कोई उत्तरदायित्व होगा। मेरे पक्षकार व उसके परिवार का पुत्र मुकुल शंखवार एवं पुत्रवधू सुगंध शंखवार से किसी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अतः सर्वसाधारण सूचित हो। दिनांक: 07.07.2026

भवदीय: हरिशंकर शंखवार पुत्र स्व. श्री दीनदयाल शंखवार आयु-67 वर्ष, निवासी-रघुनाथपुरम्, रमटापुरा पुल के पास, लोहामंडी, ग्वालियर (म.प्र.) मो: 9584223833

द्वारा अभिभाषक: जे.ए. वर्मा (एडवोकेट)
कार्या.: 01, न्यू सुरेश नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 9425744091

फॉर्म नंबर INC-25A का प्रारूप

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अंतर्गत)

क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र)

इनके मामले में: कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

और

इनके मामले में: मेसर्स आदित्याज़ होटल्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आदित्याज़ होटल कंपाउंड, आदित्य पुरम, भिंड रोड, ग्वालियर, ग्वालियर-474005, मध्य प्रदेश में स्थित है।

आवेदक

द्वारा एतद द्वारा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी उक्त नियमों के अनुपालन में एक प्रस्ताव (विशेष संकल्प) पारित कर चुकी है असाधारण आम बैठक में पारित प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार, एक 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' के रूप में परिवर्तित होने की इच्छुक है, जो कि दिनांक 17/06/2026 को संपन्न हुई थी, ताकि कंपनी को इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सक्षम बनाया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसके हित इस प्रस्तावित परिवर्तन/कंपनी की स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए, शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ROC भवन, रूपल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नारणपुरा, अहमदाबाद - 380013, गुजरात में या नीचे दिए गए पते पर भेज सकता है। यह आपत्तियां इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर आवेदक कंपनी का पता पर पहुंच जानी चाहिए।

आवेदक के लिए और उनकी ओर से:
आदित्याज़ होटल्स लिमिटेड
दीपेन्द्र कुमार टमोटिया
निदेशक - DIN: 01148718
पंजीकृत कार्यालय का पता: आदित्याज़ होटल कंपाउंड, आदित्य पुरम, भिंड रोड, ग्वालियर, ग्वालियर - 474005, मध्य प्रदेश।

न्यायालय सूचना

समक्ष पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय उ.प्र. कंचन जंगा मार्केट सेक्टर-53, नोएडा, गौतमबुद्धनगर। **विविध विवाद सं. -107/2026-** श्री किशन कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री छोटे लाल गुप्ता, पता- ई-1004 के डब्ल्यू. शृष्टि राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उ.प्र.। **अभिनिर्णय विवाद सं.- 695/2025 -** श्री किशन कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री छोटे लाल गुप्ता, पता- ई- 1004 के डब्ल्यू. शृष्टि राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उ.प्र.। **विविध विवाद सं. 20/2026-** श्री शिव कुमार पुत्र श्री ज्ञान दास निवासी मकान नं.-39/15 ओम विहार कालोनी, बांकनेर, दिल्ली ....वादी पक्ष

अभिनिर्णय विवाद सं.-694/2025 - श्री शिव कुमार पुत्र श्री ज्ञान दास निवासी मकान नं.-39/15 ओम विहार कालोनी, बांकनेर, दिल्ली ....वादी गण

बनाम

(1) मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रोटेक रिटेलर्स प्रा. लि. ए-218 सेक्टर 63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
(2) श्री गिरराज बंसल (डायरेक्टर), मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रोटेक रिटेलर्स प्रा. लि. Regd-Office G-1 Shiva Arcade, Infront of IncomeTax Offic, Gwalior (M.P.)-474011
(3) मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रोटेक रिटेलर्स प्रा. लि., मलगढ़ा थाने के पास, ग्राम कल्याणपुर, टीपल आई टी एम कॉलेज के सामने, ग्वालियर, म.प्र.।
(4) मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रोटेक रिटेलर्स प्रा. लि., यूनिट नं.-801-802, 8वीं मंजिल, पर्ल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ....सेवायोजक पक्ष

पत्र संख्या- 775/ श्र.न्या.नो. दिनांक: 29-06-26

उपरोक्त विवाद में श्रमिक पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा है कि इस न्यायालय द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपर्युक्त सेवायोजक पक्ष को सम्मन जारी किया गया जो बिना तामील न्यायालय में वापस प्राप्त हुआ है। उपरोक्त विवाद में वादी/श्रमिक पक्ष के प्रार्थना की गई है कि सेवायोजक पक्ष को नोटिस की तामीली समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर कराये जाने की प्रार्थना की है। न्यायहित में वादी श्रमिक की प्रार्थना स्वीकार करते हुए सेवायोजक पक्ष को नोटिस की तामीली हेतु दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन कराये जाने का आदेश किये गये हैं। अतः उपरोक्त सेवायोजक पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह अगली नियत तिथि दिनांक 16.07.2026 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त वादों में अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी। आज दिनांक 29.06.2026 को न्यायालय के मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से (चन्द्र सिंह) पेशकार

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मो. शकील खान बल्द स्व. उम्मेद खान, निवासी-शिवनगर, झाडू वाला मोहल्ला, लश्कर का हूँ मेरा बड़ा बेटा कादर खान एवं उसकी बीबी मुबीना बेगम पुत्री चांद खां दोनों का व्यवहार मेरे व परिवार जनों के साथ अच्छा नही रहता। आये दिन लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं मेरे पुत्र कादर खान का चाल-चरित्र भी ठीक नहीं है, लोगों से उधार लेकर भी चुकता नहीं करता है, इससे घर में क्लेश बना रहता है- इससे दुखी होकर में अपनी सम्पत्ति घर-मकान से अपने बेटे कादर खान व वहु मुबीना को बेदखल करता हूँ और भविष्य में उनसे कोई सम्बंध नही रखूंगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे बेटे-बहू से कोई लेन-देन रुपयो का करता है तो यह सब उसी की जिम्मेदारी होगी। मेरा व परिवार का उससे कोई सम्बंध नही होगा।

दिनोक: 07.07.2026

भवदीय
मो. शकील खां पुत्र उम्मेद खां
जर्ये एम.के. कुरैशी सबा कुरैशी (एडवोकेट)
मो. 9329251229

CHANGE OF NAME

I No. 15164419N, RHM (OPR) Name-PRAVEENA VIRUPAKSHAPPA BALLARI currently residing at Vill & Post-Ranatur, Tehasil- Shirahatti, Dist-Gadag, State- Karnataka, Pin-582112, My son studying in class 5th, have changed my son name from **CHETAN PRAVEEN BALLARI to CHETAN P B** & my wife have changed name from **JAYASHRI** to **JAYASHRI PRAVEENA BALIARI** & my name have changed from **PRAVEEN BALLARY** to **PRAVEENA VIRUPAKSHAPPA BALLARI** Which is true in Aadhar Card & Birth Certificate

CHANGE OF NAME

I, No. 15164419N, RHM (OPR) Name-PRAVEENA VIRUPAKSHAPPA BALLARI currently residing at Vill & Post-Ranatur, Tehasil- Shirahatti, Dist-Gadag, State- Karnataka, Pin-582112 my daughter **VIDYA P B** studying in class 8th, in my daughter school records mention wrong, mother name **JAYASHRI** and wrong Father Name **PRAVEEN BALLARY.** Whereas the Correct mother name is **JAYASHRI PRAVEENA BALLARI** & Correct Father Name is **PRAVEENA VIRUPAKSHAPPA BALLARI** and it may entered accordingly in my daughter School records. Which is true in Aadhar Card & Birth Certificate

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार हरवीर शर्मा पुत्र श्री सरदार सिंह ने उक्त अचल सम्पत्ति निर्मित भवन क्र. 14 का आधा भाग स्थित कवि नगर ग्राम महाराजपुरा रमन्ना जिला ग्वालियर में है। जिसका म्यु. भवन क्र. 3613 वार्ड क. 19 है। जो मेरे पक्षकार हरवीर शर्मा एंव उत्तम शर्मा के द्वारा रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दस्तावेज क्र. एम पी 21 आई.जी.आर. 17412026ए100801942 तारीखी 30.6.2026 के तहत मेरे पक्षकार के हिस्से में 74.32 वर्गमीटर का मालिक काबिज है। जिसका विधिवत नामाकंन नगर पालिका निगम ग्वालियर के यहाँ दर्ज है, मेरे पक्षकार के द्वारा विभाजन पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में - भवन क्र. 13, पश्चिम में शेष भाग सम्पत्ति उत्तम शर्मा, उत्तर में रास्ता दक्षिण में - भवन सरदार जिसका कुल क्षेत्रफल 74.32 वर्गमीटर है। लेकिन मेरे पक्षकार हरवीर शर्मा के द्वारा रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के तहत अचल सम्पत्ति निर्मित भवन क. 14 का आधा भाग कुल क्षेत्रफल 74.32 वर्गमीटर पर हाउसिंग लोन की सुविधा लिये जाने बाबत अगर किसी व्यक्ति, बैक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को कोई या मेरे पक्षकार के सहभागीदार उत्तम शर्मा को कोई उज्ज व आपति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्ज व आपति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरा पक्षकार हरवीर शर्मा पुत्र श्री सरदार सिंह उक्त अचल सम्पत्ति निर्मित भवन क्र. 14 का आधा भाग कुल क्षेत्रफल 74.32 वर्गमीटर को बंधक रखकर हाउसिंग लोन की सुविधा मेरा पक्षकार हरवीर शर्मा पुत्र श्री सरदार सिंह अचल सम्पत्ति निर्मित भवन क. 14 का आधा भाग कुल क्षेत्रफल 74.32 वर्गमीटर पर हाउसिंग लोन की सुविधा पी.एन.बी.एच.एफ.एल. ग्वालियर से आवंटित करा रहा है। जो सुचित हो।

दिनांक 07.07.2026
स्थानः ग्वालियर

भवदीय
संजय, बाकलीवाल एडवोकेट
, चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री नाथू सिंह उर्फ मोहर सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 19, स्थित ग्राम मलखानपुरा, तहसील बामौर एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र. 251 एवं 258/2/1 ग्राम मलखानपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1650 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार हैः- पूर्व में- रास्ता, पश्चिम में भूखण्ड क्र. 23, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र. 20 है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री राम निवास पुत्रगण श्री नाथू सिंह के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री शिव कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र. एमपी27आईजीआर17912025ए400748399 दिनांक 22.08.2025 को सम्पादित किया गया। श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह जर्ये मुख्त्यारआम श्री शिव कुमार द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्री रामकुमार पुत्र श्री जिलेदार सिंह के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री रामकुमार द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान वास्तु हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. .., स्थानः जनकपुरी ग्राम - कोटा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती सरूपी पत्नी श्री रमेश धाकड़ के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. ... पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1/1549 दिनांक 29.03.2010 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/59101/59292/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती सुमन जाटव / श्री नरेश जाटव नरेश जाटव / श्री सोहन लाल जाटव
पताः जनकपुरी ग्राम - कोटा, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 07-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. .., स्थानः वेलदारपुरा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती माया जाटव / श्री रामवरन जाटव के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000273561 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 520 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1574928 दिनांक 13.08.2018 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/59102/59293/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती ऊषा जाटव / श्री रामअवतार जाटव
पताः वेलदारपुरा, वार्ड-38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 07-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 18 वार्ड क्रं. 49, भवन क्रं. .., स्थानः हारकोटा सीर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती वंदना पमनानी / श्री दीपक पमनानी, प्रिया खोरेला / श्री श्याम खोरेला के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000207674 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 455 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1148377 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी क्षे.क्रं. 18 पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 83/2010/18967/41263/प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
अजीज खाँ पुत्र जुम्मन खाँ श्यामलाल अगीचा / स्व. श्री सेवाराम अगीचा
पताः हारकोटा सीर, वार्ड-49
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 07-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. 1419, स्थानः बाई साहब की परेड, शिन्दे मण्डली नगर, लश्कर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मालती सेंथिया / श्री नरेश चन्द्र सेंथिया के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. ... पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 535 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत-पत्र क्र. A12493990 दिनांक 23.10.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं 71/2010/59103/59294/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती हेमलता पाठक / श्री गोपाल पाठक
पताः बाई साहब की परेड, शिन्दे मण्डली नगर, लश्कर, वार्ड-39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 07-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 20 वार्ड क्रं. 51, भवन क्रं. 1500, स्थानः सैनिक कॉलोनी, सिकन्दर कम्पू पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती तुलसा रानी गोले / श्री भरोसी लाल गोले के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000146145 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत-पत्र क्र. मृत्युउपरांत-उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिन्धी कॉलोनी क्षे.क्रं. 20 पर दिनांक 03.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं 74/2010/65785/65842/प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
भरोसी लाल गोले / श्री किशोरी लाल गोले पवन गोले, विशाल गोले / श्री भरोसीलाल गोले मंजरी चौहान / श्री जितेन्द्र चौहान
पताः सैनिक कॉलोनी, सिकन्दर कम्पू, वार्ड-51
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 07-07-2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 16 वार्ड क्रं 41, स्थान शिन्दे अपार्टमेंट, शिन्दे का बाडा ग्वा0 मे स्थित है जो कि आभा जयंत गिरमे/राणो जी राव, नीता शिंदे/सुहिल शिंदे नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 9000274270 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 246 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-29032600565768 दिनांक 29.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजगंज क्षे.क्र 16, पर दिनांक 03.07.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 81/2010/39310/61492 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
लालचंद परियानी/स्व. तुलाराम
पता-शिन्दे अपार्टमेंट, शिन्दे का बाडा ग्वा0(म.प्र.),मो0-8349641522
विज्ञप्ति जारी दिनांक-07.07.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15 वार्ड क्रं 42, स्थान दानाओली मोतीझील किराना के पास ग्वा0 मे स्थित है जो कि तरूण, संजय माहेश्वरी/आशाराम माहेश्वरी नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000194678 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 152 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-02012600005361 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48822/48785 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
त्रिलोकीनाथ सेन/रामजीदास, राधा सेन/त्रिलोकीनाथ सेन
पता-दानाओली मोतीझील किराना के पास ग्वा0(म.प्र.),मो0-9407507503
विज्ञप्ति जारी दिनांक-07.07.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15 वार्ड क्रं 42, भवन क्रं 397, स्थान दानाओली मोतीझील किराना के पास ग्वा0 मे स्थित है जो कि शकुन्तला, संजय माहेश्वरी/आशाराम माहेश्वरी नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000194678 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-06122501772024 दिनांक 10.12.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 07.07.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48823/48786 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
त्रिलोकीनाथ सेन/रामजीदास, राधा सेन/त्रिलोकीनाथ सेन
पता-दानाओली मोतीझील किराना के पास ग्वा0(म.प्र.),मो0-9407507503
विज्ञप्ति जारी दिनांक-07.07.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 20 वार्ड क्रं 51, स्थान पांचो की बगिया, हैदरगंज लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि धीरज वाधवानी/स्व. रमेश कुमार वाधवानी नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000078324 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 620 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602019ए1690346 दिनांक 07.10.2019 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज क्षे.क्र 20, पर दिनांक 06.07.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65803/65859 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
मुवीना खान/शमशेर खान
पता-हैदरगंज लश्कर ग्वा0(म.प्र.)
मो0-9131630538
विज्ञप्ति जारी दिनांक-07.07.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 20 वार्ड क्रं 51, स्थान सिकंदर कंपू रोड ग्वा0 मे स्थित है जो कि पप्पू अटारिया, राजोल, डोगर/ दुर्गा प्रसाद, कुलदीप, ममता/राजू अटारिया, दिनेश/किशन अटारिया नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 333 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-05062600968625 दिनांक 08.06.2026 बटवारा द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज क्षे.क्र 20, पर दिनांक 29.06.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65753/65811 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
दिनेश अटारिया/किशन अटारिया
पता-सिकंदर कम्पू रोड ग्वा0(म.प्र.)
मो0-9977033417
विज्ञप्ति जारी दिनांक-07.07.2026

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए **11.08.2026 से 13.08.2026** तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
172588219	पूरन प्रभूदयाल	दतिया एमबीएल

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :

1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

दिनांकः 08.07.2026
स्थानः मध्यप्रदेश